

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— पीयूष समारिया
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 55 / 2019



1. सुभाष पुत्र विजयसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम पाडली तहसील दौसा।

... अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा।

...रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार दौसा दिनांक 16.10.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम सुभाष मु0नं0 44 / 2018 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्री किशन सिंह गुर्जर, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री चंद्र शेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक: 25.02.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार दौसा ने दिनांक 16.10.2018 को ग्राम पाडली तहसील दौसा के राजकीय सिवायचक किस्म गैर मुमकिन रास्ता भूमि खसरा नम्बर 495 रकबा 0.01 है0 पर बाजरा की काश्तकर अतिचार करने पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस का सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोजेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि पटवारी हल्का पालावास ने अपीलांट के खिलाफ रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलांट ने ग्राम पाडली स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 495 रकबा 0.01 है0 पर बाजरा की काश्तकर अतिचार किया है। अपीलांट ने किसी भी राजकीय भूमि पर कोई भी अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलांट अपने खातेदारी एवं कब्जे की भूमि पर काबिज है। उक्त खातेदारी भूमि के सटती हुई सिवायचक भूमि है। पटवारी ने बिना मौका देखे रिपोर्ट बनाई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यों पर कोई गौर नहीं फरमाकर निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट का उक्त भूमि पर पूर्व में भी कोई अतिचार कब्जा साबित नहीं है। अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह का कोई अवसर नहीं दिया गया एवं पटवारी की रिपोर्ट भी प्रदर्शित नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का के इकतरफा बयान लेकर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई सबूत भी नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। जिसमें अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ। इसलिए अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि पटवारी से जिरह का समुचित अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का के बयान पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस तामील होने पर अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि उनको पटवारी से जिरह का अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में किस्म सिवायचक गैर मुमकिन रास्ता भूमि पर बाजरा की काश्त कर अतिक्रमण करना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजकीय सिवायचक गैर मुमकिन रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.10.2018 के विरुद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो

(पीयूष समारिया)

जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)

जिला कलेक्टर, दौसा

